| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज | न० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर**<br>**अपील संख्या– 13/2021 अंतर्गत धारा–76 एल.आर.एक्ट**<br>**(GCMS No. 2021/21)**<br>अनवानः<br>1. सुभाषचन्द्र पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाडाना तहसील सूरतगढ़ हाल चक 3 डीओ ए छतरगढ़ तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।<br>**बनाम**<br>1. प्रभुदयाल पुत्र श्री बीरबलराम जाति ब्राह्मण निवासी ढुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर वगैरह। | |
| 28.04.2025 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार–बार आवाज लगाई गई, बार–बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नही हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।<br><br>(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)<br>संभागीय आयुक्त,<br>बीकानेर | |

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर